रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 1992/भाद्र 17, 1914

No. 370] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1992/BHADRA 17, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर 1992

सा.का.नि. 760 (अ)—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पत्तन न्यास [विभाग प्रमुखों की भर्ती (संशोधन)] विनियम, 1992 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं.पी.आर.-12012/16/92-पी.ई.-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम 1991 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. ये विनियम कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1992 कहे जायेंगे।

2. (i) विनियम के शीर्षक में दर्शाए गए "आदर्श विनियम प्रारूप" शब्दों को हटा दिया जाये।

(ii) विनियम के अंग्रेजी पाठ के शीर्ष में दर्शाया गया "कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1990" नामक शीर्षक का "कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1991" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाये।

3. विद्यमान विनियम 1(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाए:-

(1) "ये विनियम कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1991" कहे जायेंगे।

4. विनियम 8(3) में से "जो स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया हो अथवा" शब्दों को हटा दिया जाएगा ।

5. विनियम 10(2) के अधीन विद्यमान परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"परन्तु यदि नियुक्ति अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि स्वीय विधि के अधीन उस व्यक्ति और विवाह से संबंधित अन्य पक्ष के लिए ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा कार्य करने के लिए रूढ़िगत विधि के अधीन अन्य आधार है तो वह इस उप विनियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है ।"

6. विद्यमान विनियम 11(2) (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(i) "जल भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव (पार्ट)—अध्यक्ष"

(ii) विद्यमान विनियम 11(2) (iii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया गया कोई अन्य ऐसा अधिकारी जिसे भरे जाने वाले पद के कार्यक्षेत्र से संबंधित अनुभव हो—सदस्य"

7. विद्यमान विनियम 12(1) (i) को हटा दिया जाये तथा उप विनियम (ii) तथा (iii) को क्रमशः (i) तथा (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए ।

8. विनियम 17 मे "नियुक्ति आदेश में उल्लिखित तारीख के अन्दर तथा जहां ऐसी किसी तारीख का उल्लेख नहीं हो" शब्दों को हटा दिया जाये ।

9. मुख्य यांत्रिक अभियंता पद से संबंधित अनुसूची कालम संख्या (5) के अधीन वांछनीय योग्यता को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"वांछनीय

परियोजना प्रबंध में प्रबंधकीय क्षमता तथा नौभार एवं प्रहस्तन संयंत्रों और पोर्ट क्राफ्ट के प्रचालन का अनुभव" ।

10. अनुसूची के कालम संख्या (10) के अधीन चयन समिति की विद्यमान संरचना को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा —

"(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव (पोर्ट) जल भूतल परिवहन मंत्रालय — अध्यक्ष

(ii) अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट — सदस्य

(iii) जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित ऐसा अधिकारी जिसे पद के कार्यक्षेत्र से संबंधित अनुभव हो । — सदस्य"

पाद टिप्पण :

(1) मुख्य विनियम जीएसआर 83 (ई) के अधीन दिनांक 20-2-91 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है ।

(2) जीएसआर 628 (ई) के अधीन दिनांक 14-10-91 की अधिसूचना संख्या पीआर 12012/14/90-पीई-I द्वारा संशोधित ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1992

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Amendment Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12012/16/92-PE-I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28, read with Section 124, of the MPT Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby make the following amendment to the Kandla Port Trust (Recruitment of heads of Department) Amendment Regulations, 1991 namely :—

1. These rgulations may be called the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of department) Amendment Regulations, 1992.

2. The words "DRAFT MODEL REGULATIONS" appearing in the (i) title of the regulations shall be deleted.

   (ii) The title "The Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations, 1990" appearing on the top of the English version of the regulations shall be substituted as "Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations, 1991".

3. The existing regulation 1(i) shall be substituted as under :—

   (i) "These regulations may be called the Kandla Port Trust (Recruitment of heads of department) Regulations, 1991".

4. In regulation 8(3) the words "who is not considered suitable for confirmation or" shall be deleted.

5. The existing proviso under Regulation 10 (2) shall be substituted as under :—

   "Provided that the appointing authority may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing under the Customary Laws, exempt any person from the operation of this sub-regulation".

6. The existing regulation 11 (2) (i) shall be substituted as under :—

   (i) "Additional Secretary/Joint Secretary (Ports) to the Govt. of India, Ministry of Surface Transport—Chairman".

   (ii) The existing regulation 11 (2) (iii) shall be substituted as under :—

"Any other officer having experience in the field relating to the post to be filled as may be nominated by the Central Govt.—Member."

7. The existing sub-regulation 12 (1) (i) shall be deleted and the sub-regulation (ii) and (iii) shall be re-numbered as (i) and (ii) respectively.

8. In regulation 17 the words "within the date mentioned in appointment order and where no such date is mentioned" shall be deleted.

9. The DESIRABLE qualification under col No. (5) of the schedule against the Post of Chief Mechanical Engineer shall be substituted as under :—

"DESIRABLE

Experience in a managerial capacity in Project—Management and in operation of cargo and handling equipment and port crafts."

10. The existing composition of Selection Committee under col. No. (10) of the schedules shall be substituted as under :—

"(i) Additional Secretary Joint Secretary (Ports), Ministry of Surface Transport —Chairman

(ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member

(iii) An officer with experience in the field relating to the port nominated by Ministry of Surface Transport —Member"

FOOT NOTE :

(i) The principal regulation was published in the Gazette of India Extraordinary on 20-2-91 under GSR 83 (E).

(ii) Amended vide Notification No. PR-12012|14|90-PE 1 dated 14-10-91 under GSR 628 (E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992